



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2459]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2013/कार्तिक 1, 1935

No. 2459]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2013/KARTIKA 1, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2013

का.आ. 3223(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [किमी 29.100 से किमी 4.740 (हजीरा से सूरत) और किमी 7.325 से किमी 103.149 (सूरत से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा) तक खंड], रारा सं. 8ए [किमी 0.000 से किमी 71.400 को छोड़कर (कांडला – मुंद्रा पत्तन) और किमी 183.500 से किमी 362.160 (गांधीधाम से समख्याली से बामनबोर) तक], रारा सं. 8सी, सं. 8डी [किमी 0.000 से किमी 127.000 (जेतुपर-सोमनाथ) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 8ई, सं. 15 [समख्याली से राधनपुर तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 59 [किमी 4.200 से किमी 122.420 (अहमदाबाद-गोधरा) और किमी 129.300 से किमी 215.900 (गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा) तक], नया रारा सं. 113, सं. 228, नई रारा सं. 56,	गुजरात सरकार”।	राज्य
-----	---	----------------	-------

नई रारा सं. 58, नई रारा सं. 848 और नई रारा सं. 848ए के उतने भाग जो गुजरात राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा.सं. एनएच-14013/5/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1961 (अ), 2 जून, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2013

S.O. 3223(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“ 7	So much of National Highways No. 6 [excluding from km. 29.100 to km. 4.740 (Hazira to Surat) and km. 7.325 to km. 103.149 (Surat to Maharastra/Gujarat Border)], No.8A [excluding from km.0.000 to km.71.400 (Kandla-Mundra Port) and from Km.183.500 to Km.362.160 (section from Gandhidham to Samakhiali to Bamanbore)], No.8C, No.8D [excluding from km.0.000 to km.127.000 (Jetpur-Somnath)], No.8E, No.15 [excluding the Section Samakhiali to Radhanpur], No.59 [excluding from km. 4.200 to km. 122.420 (Ahmedabad-Godhra) and from km.129.300 to km.215.900 (Godhara-Gujarat/Madhya Pradesh Border)], No.113, No. 228, new NH No. 56, new NH No. 58, new NH No.848 and new NH No. 848A as are situated within the State of Gujarat.	State Government of Gujarat”.
-----	---	-------------------------------

[F. No. NH-14013/5/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:—The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1961 (E), dated the 2nd June, 2013.